

**पशुसंवर्धन व दुग्धशास्त्र विभाग  
कृषि महाविद्यालय, वनामकृवि, परभणी**

जा.क्र.जीपीडी/लेखा-१/ ९१२ /२०२५  
दि. ०५/०८/२०२५

**परिपत्रक**

वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी कार्यक्षेत्रांतर्गत उत्पादीत होणान्या दुध, दुग्धजन्य पदार्थ, शेणखत व पशुधन अनुषंगीक उत्पादीत बाबींचे सुधारीत विक्री दराबाबत सर्व सन्माननीय ग्राहक, पशुपालक व शेतकरी यांना कळविण्यात येते की, मा. कुलगुरु, वनामकृवि, परभणी यांचे मंजूरी पृष्ठांकन क्र. १५८६/२०२५, दि. २५/०७/२०२५ अन्वये वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठांतर्गत उत्पादीत होणान्या दुध, दुग्धजन्य पदार्थ, शेणखत व पशुधन अनुषंगीक उत्पादीत बाबींचे सुधारीत विक्री दराबाबतचा प्रस्ताव या विभागास दि. २५/०७/२०२५ रोजी प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे सुधारीत प्रस्तावीत विक्री दर खालीलप्रमाणे आहेत.

| अ<br>क्र | दुग्धजन्य पदार्थ                                   | सद्यस्थितीतील<br>विक्री दर | सुधारित विक्री<br>दर | वस्तु व सेवा<br>करासहीत विक्री दर |
|----------|----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| १        | म्हशीचे दुध (प्रति लिटर)                           | ७०/-                       | ८०/-                 | ८०/-                              |
| २        | गायीचे दुध (प्रति लिटर)                            | ४४/-                       | ५०/-                 | ५०/-                              |
| ३        | शेळीचे दुध (१०० मि.लि. नमुना)                      | ३०/-                       | ३०/-                 | ३०/-                              |
| ४        | पनीर (प्रति कि.ग्रॅ.) + ५ टक्के जीएसटी             | ४००/-                      | ४५७/-                | ४८०/-                             |
| ५        | दही (प्रति लिटर) + ५ टक्के जीएसटी                  | १००/-                      | १०५/-                | ११०/-                             |
| ६        | श्रीखंड (प्रति कि.ग्रॅ.) + ५ टक्के जीएसटी          | २४०/-                      | २६२/-                | २७५/-                             |
| ७        | आम्रखंड (प्रति कि.ग्रॅ.) + ५ टक्के जीएसटी          | २६०/-                      | २८१/-                | २९५/-                             |
| ८        | लस्सी (२०० मि.लि.) + ५ टक्के जीएसटी                | २०/-                       | २४/-                 | २५/-                              |
| ९        | ताक (२०० मि.लि. बॉटल सहित) + ५ टक्के जीएसटी        | १५/-                       | १९/-                 | २०/-                              |
| १०       | ताक (२०० मि.लि.) + ५ टक्के जीएसटी                  | १०/-                       | १४/-                 | १५/-                              |
| ११       | सुगंधी दुध (२०० मि.लि.) + ५ टक्के जीएसटी           | २०/-                       | २४/-                 | २५/-                              |
| १२       | खवा (प्रति कि.ग्रॅ.)                               | ३४०/-                      | ३८०/-                | ३८०/-                             |
| १३       | गुलाब जामुन (प्रति कि.ग्रॅ.)                       | २६०/-                      | ४००/-                | ४००/-                             |
| १४       | बर्फी (प्रति कि.ग्रॅ.)                             | ३६०/-                      | ४५०/-                | ४५०/-                             |
| १५       | पेढा (प्रति कि.ग्रॅ.)                              | ३६०/-                      | ४५०/-                | ४५०/-                             |
| १६       | बासुंदी (प्रति कि.ग्रॅ.) + ५ टक्के जीएसटी          | ३००/-                      | ३२४/-                | ३४०/-                             |
| १७       | कलाकंद (प्रति कि.ग्रॅ.)                            | ३५०/-                      | ४५०/-                | ४५०/-                             |
| १८       | आईस्क्रीम (प्रति लिटर)                             | २२०/-                      | २८०/-                | २८०/-                             |
| १९       | कुल्फी (१०० मि.लि.)                                | २०/-                       | २५/-                 | २५/-                              |
| २०       | म्हशीचे तुप (प्रति कि.ग्रॅ.) + १२ टक्के जीएसटी     | १,०००/-                    | १,०००/-              | १,१२०/-                           |
| २१       | देवणी गाईचे तुप (प्रति कि.ग्रॅ.) + १२ टक्के जीएसटी | २२,००/-                    | ३,०००/-              | ३,३६०/-                           |
| २२       | शेणखत प्रति टन                                     | ३,०००/-                    | ५,०००/-              | ५,०००/-                           |
| २३       | लेंडी खत प्रति टन                                  | ४,०००/-                    | ५,५००/-              | ५,५००/-                           |
| २४       | कांबडी खत प्रति टन                                 | ५,०००/-                    | ५,५००/-              | ५,५००/-                           |



|    |                                                                                       |                                                        |                                                           |                  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|
| २५ | गांडुळ खत (१ कि.ग्रॅ.)                                                                | १०/-                                                   | १५/-                                                      | १५/-             |
|    | गांडुळ खत (२५ कि.ग्रॅ.)                                                               | --                                                     | ३२५/-                                                     | ३२५/-            |
|    | गांडुळ खत (१०० कि.ग्रॅ.)                                                              | --                                                     | १०००/-                                                    | १०००/-           |
| २६ | जिवंत गांडुळ (प्रति कि.ग्रॅ.)                                                         | ५००/-                                                  | ५००/-                                                     | ५००/-            |
| २७ | व्हर्मी वॉश (प्रति लिटर)                                                              | ८०/-                                                   | ८०/-                                                      | ८०/-             |
| २८ | गोमुत्र (प्रति लिटर)                                                                  | १०/-                                                   | १०/-                                                      | १०/-             |
| २९ | अॅझोला कल्चर (प्रति कि.ग्रॅ.)                                                         | २००/-                                                  | २००/-                                                     | २००/-            |
| ३० | शेळी (प्रति कि.ग्रॅ.)                                                                 | ३००/-                                                  | ४००/-                                                     | ४००/-            |
| ३१ | शेळी वर्गीय (Culling)<br>शारीरिकदृष्ट्या व्यंग / अवगुण /वाढ खुंटलेले (प्रति कि.ग्रॅ.) | १५०/-                                                  | १५०/-                                                     | १५०/-            |
| ३२ | बोकड (एक वर्षावरील) प्रजोत्पादनासाठी (प्रति कि.ग्रॅ.)                                 | ४००/-                                                  | ५००/-                                                     | ५००/-            |
| ३३ | बोकड अतिरीक्त (प्रति कि.ग्रॅ.)                                                        | ३००/-                                                  | ४००/-                                                     | ४००/-            |
| ३४ | प्रयोगासाठी वापरण्यात आलेल्या शेळीवर्गीय मटनाचे दर (प्रति कि.ग्रॅ.)                   | ४००/-                                                  | ६००/-                                                     | ६००/-            |
| ३५ | जिवंत कोंबडी (प्रति कि.ग्रॅ.)                                                         | समिती मार्फत<br>बाजारातील प्रचलित<br>विक्री दराप्रमाणे | समिती मार्फत<br>बाजारातील<br>प्रचलित विक्री<br>दराप्रमाणे |                  |
| ३६ | कोंबडी अंडी (गावरान प्रति नग)                                                         |                                                        |                                                           |                  |
| ३७ | कोंबडी अंडी (प्रति नग)                                                                |                                                        |                                                           |                  |
|    | चारा पिके                                                                             |                                                        |                                                           |                  |
| ३८ | डी एच एन- ६                                                                           | २ रु. प्रति ठॉब                                        | २ रु. प्रति ठॉब                                           | २ रु. प्रति ठॉब  |
| ३९ | गुणवंत                                                                                | २ रु. प्रति ठॉब                                        | २ रु. प्रति ठॉब                                           | २ रु. प्रति ठॉब  |
| ४० | सी ओ बी एन- ५                                                                         | २ रु. प्रति ठॉब                                        | २ रु. प्रति ठॉब                                           | २ रु. प्रति ठॉब  |
| ४१ | आय जी एफ आर- ७                                                                        | २ रु. प्रति ठॉब                                        | २ रु. प्रति ठॉब                                           | २ रु. प्रति ठॉब  |
| ४२ | जयवंत                                                                                 | २ रु. प्रति ठॉब                                        | २ रु. प्रति ठॉब                                           | २ रु. प्रति ठॉब  |
| ४३ | पॅराग्रास                                                                             | २००/- प्रति किलो                                       | २००/- प्रति<br>किलो                                       | २००/- प्रति किलो |
| ४४ | मारवेल                                                                                | २००/- प्रति किलो                                       | २००/- प्रति<br>किलो                                       | २००/- प्रति किलो |

त्यानुसार, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठांतर्गत उत्पादीत होणाऱ्या दुध, दुग्धजन्य पदार्थ, शेणखत व पशुधन अनुषंगीक उत्पादीत बाबींचे सुधारीत विक्री दर दि. ०१ सप्टेंबर, २०२५ पासून आमलात येतील. दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०२५ पर्यंत लागणारी दुध कुपन्स ग्राहकांनी स्वतः कडे ठेवून बाकीचे कुपन्स पुनर्मुल्यांकन व नुतनीकरण या विभागाकडून तात्काळ करून घ्यावीत. यासाठी दुध कुपन्स वाढीव फरकाच्या रक्कमेसहीत अर्ज या कार्यालयाकडे त्वरीत पाठवावेत. तसेच दि. ०१ सप्टेंबर, २०२५ पासून जुन्या दराने घेतलेल्या दुध कुपन्सवर दुध मिळणार नाही याची सर्व ग्राहकांनी नोंद घ्यावी.

  
विभाग प्रमुख



**प्रतिलिपी माहितीस्तव सादर:**

१. मा. संचालक शिक्षण तथा अधिष्ठाता (कृषि), वनामकृवि, परभणी
२. मा. संचालक संशोधन, वनामकृवि, परभणी
३. मा. संचालक विस्तार शिक्षण, वनामकृवि, परभणी
४. मा. सहयोगी अधिष्ठाता व प्राचार्य, कृमवि, परभणी/लातूर/अंबाजोगाई/बदनापुर/उस्मानाबाद/ गोळेगाव ता. औंढा जि. हिंगाळी/मा. सहयोगी अधिष्ठाता व प्राचार्य, सामाजिक विज्ञान महाविद्यालय/कृषि तंत्रज्ञान व अभियांत्रिकी महाविद्यालय/अन्नतंत्र महाविद्यालय, परभणी/प्रभारी अधिकारी, उद्यानविद्या महाविद्यालय, परभणी

**प्रतिलिपी :**

१. कुलसचिव, वनामकृवि, परभणी यांना सस्नेह अग्रेषित
२. विद्यापीठ अभियंता, वनामकृवि, परभणी माहितीस्तव
३. नियंत्रक, वनामकृवि, परभणी यांना माहितीस्तव
४. विभाग प्रमुख, ..... वनामकृवि, परभणी यांना माहितीस्तव
५. जेष्ठ शास्त्रज्ञ, संकरित गो पैदास प्रकल्प, वनामकृवि, परभणी यांना माहितीस्तव व योग्य त्या कार्यवाहीस्तव
६. प्रभारी अधिकारी, मध्यवर्ती प्रक्षेत्र, वनामकृवि, परभणी यांना माहितीस्तव
७. प्राचार्य, कृषि तंत्र विद्यालय, वनामकृवि, परभणी / नांदेड / औरंगाबाद / अंबाजोगाई / लातूर / जालना / तुळजापुर / वसमत यांना माहितीस्तव व योग्य त्या कार्यवाहीस्तव
८. प्रभारी अधिकारी, अनुभवातुन शिक्षण दुग्ध तंत्रज्ञान प्रकल्प, पसंदुशा विभाग, कृषि महाविद्यालय, वनामकृवि, परभणी यांना माहितीस्तव व योग्य त्या कार्यवाहीस्तव
९. प्रभारी अधिकारी, दुग्धशाळा, पसंदुशा विभाग, यांना योग्य त्या कार्यवाहीस्तव
१०. प्रभारी अधिकारी, शेळी/कुकुट पालन एकक, पसंदुशा विभाग, यांना योग्य त्या कार्यवाहीस्तव
११. मा. कुलगुरु, वनामकृवि, परभणी यांचे खाजगी सचिव यांना माहितीस्तव
१२. श्री. जी. जी. बायनेवाड, कनिष्ठ लिपीक, रोखपाल / भांडारपाल, पसंदुशा विभाग, वनामकृवि, परभणी आपणांस सुचित करण्यात येते की, सुधारित दुध विक्री दराप्रमाणे दुधाच्या कुपन्सचे पुनर्मुल्यांकन करावे.
१३. प्रभारी अधिकारी, मध्यवर्ती संगणक केंद्र, वनामकृवि, परभणी यांना देऊन कळविण्यात येते की, वनामकृवि, परभणी च्या अधिकृत संकेत स्थळावर सदरील परीपत्रकास प्रसिध्दी देण्यात यावी.
१४. **सुचना फलक:** पशुसंवर्धन व दुग्धशास्त्र विभाग / कृषि महाविद्यालय / शिक्षण संचालनालय / विद्यापीठ ग्रंथालय / विद्यापीठ अभियंता कार्यालय / प्रशासकीय इमारत, वनामकृवि, परभणी